



दिनांक 09.03.2025

प्रेस विज्ञप्ति 17/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मथुरा/थाना हाईवे

- पुलिस कार्यवाही में 01 लाख रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त घायल/मृत
- 01 अवैध स्टैनगन, 15 जीवित, 15 खोखा कारतूस मय मैग्जीन
- 01 अवैध पिस्टल, 07 जीवित, 01 खोखा कारतूस मय मैग्जीन
- 01 अवैध तमंचा, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस 315 बोर आदि बरामद

दिनांक 09.03.2025 को थाना हाईवे व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम महौली जाने वाले रास्ते पर कृष्णाकुंज कॉलोनी के पास निर्माणाधीन मकान में बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त फाती उर्फ कदीम उर्फ असद उर्फ पहलवान उर्फ बब्लू उर्फ मोनीस घायल हो गया एवं अन्य तीन बदमाश मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया। जहाँ चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध स्टैनगन, 15 जीवित, 15 खोखा कारतूस मय मैग्जीन, 01 अवैध पिस्टल, 07 जीवित, 01 खोखा कारतूस मय मैग्जीन, 01 अवैध तमंचा, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस 315 बोर आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त फाती उर्फ कदीम उर्फ असद उर्फ पहलवान उर्फ बब्लू उर्फ मोनीस दुर्दान्त अन्तर्राज्यीय छयमार गिरोह का कुख्यात अपराधी था, जिसके विरुद्ध सुल्तानपुर, औरैया, फतेहपुर, जौनपुर, शामली, मथुरा, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, कमिश्नरेट कानपुर, लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद एवं राजस्थान, पंजाब व जम्मू कश्मीर प्रान्त के विभिन्न थानों में हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट

आदि के तीन दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त जनपद मथुरा से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जोन स्तर से 01 लाख रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना हाईवे पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

मृत अभियुक्त

1—फाती उर्फ कदीम उर्फ असद उर्फ पहलवान उर्फ बब्लू उर्फ मोनीस निवासी दोताई थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड़।

बरामदगी

1—01 अवैध स्टैनगन, 15 जीवित, 15 खोखा कारतूस मय मैग्जीन।

2—01 अवैध पिस्टल, 07 जीवित, 01 खोखा कारतूस मय मैग्जीन।

3—01 अवैध तमंचा, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस 315 बोर आदि।

जनपद रामपुर/थाना टाण्डा

- 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस
- 01 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 09.03.2025 को थाना टाण्डा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर छितरिया तिराहा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त आलम उर्फ बाबू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद मुरादाबाद, रामपुर के विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास, डकैती, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 20 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना टाण्डा पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना टाण्डा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आलम उर्फ बाबू निवासी खाईखेड़ा थाना मूण्ढापाण्डे जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

2—01 मोटर साइकिल।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना खुटार

- 03 अभियुक्त गिरफ्तार

- चोरी की 04 मोटर साइकिल

- नगद रुपये

- 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद

दिनांक 09.03.2025 को थाना खुटार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पटेल तिराहा मैलानी रोड से 03 अभियुक्तों 1—मोहित कुमार 2—अनिल 3—बबलू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 04 मोटर साइकिल, नगद रुपये, 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरुद्ध जनपद शाहजहाँपुर के विभिन्न थानों में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 06—06 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना खुटार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मोहित कुमार निवासी ग्राम गढिया सरेली थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर।

2—अनिल निवासी ग्राम गढिया सरेली थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर।

3—बबलू निवासी ग्राम गढिया सरेली थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

1—चोरी की 04 मोटर साइकिल।

2—नगद रुपये।

3—03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

एएनटीएफ/एएनटीएफ थाना बाराबंकी

● 01 अभियुक्त गिरफ्तार

- लगभग 01 करोड़ 50 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 520 ग्राम अवैध स्मैक

● नगद रुपये, 01 मोबाइल फोन

● 01 ई—रिक्शा आदि बरामद

दिनांक 08.03.2025 को एएनटीएफ थाना बाराबंकी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना कोतवाली नगर बाराबंकी क्षेत्रान्तर्गत चेकिंग के दौरान अभियुक्त फैयाज उर्फ फज्जी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ 50 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 520 ग्राम अवैध स्मैक, नगद रुपये, 01 मोबाइल फोन, 01 ई—रिक्शा आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—फैयाज उर्फ फज्जी निवासी ग्राम सराय हिजरा थाना कोठी जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1—लगभग 01 करोड़ 50 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 520 ग्राम अवैध स्मैक।

2—नगद रुपये, 01 मोबाइल फोन।

3—01 ई—रिक्शा आदि।

एस0टी0एफ0—महाराष्ट्र में व्यापारियों से गुण्डा टैक्स मांगने वाला शातिर
अपराधी बृजेश चौहान बलिया से गिरफ्तार।

आज दिनांक 09-03-2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 व पनवेल सिटी नवीं मुम्बई (महाराष्ट्र) पुलिस के संयुक्त टीम द्वारा महाराष्ट्र के व्यापारियों से गुण्डा टैक्स मांगने वाले शातिर अपराधी बृजेश चौहान को बलिया में गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:—

बृजेश चौहान पुत्र स्व0 लालबाबू चौहान निवासी जिगनी, थाना गडवारी, जनपद बलिया
बरामदगी:—

1—मोबाइल फोन—01अदद।(जिससे धमकी दी गयी थी)

गिरफ्तारी का स्थान/समय:—

कुवैर सिंह तिराहा रामपुर थाना कोतवाली जनपद बलिया। दिनांक 09-03-2025।

थाना पनवेल सिटी (महाराष्ट्र) में दो व्यापारियों से गुण्डा टैक्स मांगने के संबंध में थाना पनवेल (महाराष्ट्र) पर मु0अ0सं0 100/2025 धारा 308(4) बी0एन0एस0 एवं मु0अ0सं0 103/2025 धारा 308(4) बी0एन0एस0 पंजीकृत हुआ था, जिसमें वांछित बृजेश चौहान फरार चल रहा था।

बृजेश चौहान के संबंध में पनवेल सिटी पुलिस द्वारा अभिसूचना को साझा करते हुए एस0टी0एफ0 उ0प्र0 से आव”यक सहयोग मांगा गया था। इस सम्बन्ध में श्री शैलेश प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, वाराणसी के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी के निरीक्षक अमित श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक टीम व पनवेल सिटी पुलिस की टीम द्वारा स्थानीय स्तर पर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि बृजेश चौहान जनपद बलिया में लुकाछिप कर रह रहा है। इस सूचना पर आज दिनांक 09-03-2025 को उ0नि0 श्री शहजादा खॉ एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, वाराणसी के नेतृत्व में टीम गठित कर महाराष्ट्र पुलिस के साथ जनपद बलिया क्षेत्र में मामूर थी और इस दौरान वि”वस्त सूत्र द्वारा अवगत कराया गया कि बृजेश चौहान थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत कुवैर सिंह तिराहा

रामपुर के पास मौजूद है, यदि शीघ्रता की जाये तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर एस0टी0एफ0 वाराणसी टीम द्वारा विश्वस्त सूत्र द्वारा बताये गये स्थान पर पहुँच कर जनपद बलिया के थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत कुवंर सिंह तिराहा रामपुर के पास से बृजेश चौहान को गिरफ्तार करते हुये उपरोक्त बरामदगी की गयी।

अभिसूचना संकलन, पुलिस विवेचना एवं पूछताछ से पाया गया कि बृजेश चौहान पहले मुम्बई में रहा था और धमकी देने वाले दोनो व्यापारी प्रशांत प्रभाकर दलवी तथा चन्द्रकान्त अर्जुन को जानता पहचानता था और यह भी जानता था कि धमकी देने पर दोनों व्यापारी पैसा दे देंगे। इसके द्वारा व्हाट्स-एप पर वीडियो कॉल कर पिस्टल दिखाते हुये उनके बच्चों की हत्या करने की धमकी देते हुये पैसा मांग रहा था। इस संबंध में उक्त दोनों व्यापारियों द्वारा उपरोक्त दोनों अभियोग थाना पनवेल सिटी, नवी मुम्बई पर पंजीकृत कराया गया था। मुम्बई पुलिस की विवेचना से बृजेश चौहान उपरोक्त का नाम प्रकाश में आया था, जिसकी काफी समय से मुम्बई पुलिस द्वारा तलाश की जा रही थी कि आज दिनांक 09-03-2025 को एस0टी0एफ0 वाराणसी के सहयोग से गिरफ्तार किया गया।

बृजेश चौहान को गिरफ्तार कर थाना कोतवाली जनपद बलिया में दाखिल किया गया। पनवेल सिटी (महाराष्ट्र) पुलिस द्वारा स्थानीय न्यायालय में प्रस्तुत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी।
